



# बड़ौदा यू. पी. बैंक Baroda U.P. Bank

(पूर्ववर्ती काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक) (Sponsored by Bank of Baroda)

प्रधान कार्यालय: बुद्ध बिहार व्यावसायिक योजना, तारामंडल, गोरखपुर-273016

क्षेत्रीय कार्यालय- गृहस्थ प्लाजा, गाजीपुर तिराहा, मऊ

सार्वजनिक  
नीलामी

05.05.2021

## बिक्री सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) (सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) के अधीन नीलामी सूचना

यह कि बड़ौदा यू. पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट 2002) की धारा 13(12) संपादित नियम 8 व 9 प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं)/बन्धककर्ता(ओं) को मॉग पत्र जारी किया गया है जिसमें बकाया धनराशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी है। यहाँके निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं)/ बन्धककर्ता(ओं) बैंक की बकाया धनराशि का भुगतान करने के असमर्थ रहे अतः एतद्वारा ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं)/ बन्धककर्ता(ओं) को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा यू. पी. बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उनको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है, जिसका विवरण अधोवर्णित है ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं)/ बन्धककर्ता(ओं) को विशेष रूप से तथा और सर्वसाधारण को सामान्यतया सूचित किया जाता है कि इस सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का लेन-देन न करे यह सम्पत्ति बड़ौदा यू. पी. बैंक के प्रभार के अध्याधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि, ब्याज और अन्य खर्च देय है यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी ने हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत स्थावर सम्पत्तियों की निविदा/बिड्स/कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। सम्पत्ति की बिक्री निम्नानुसार वर्णित तिथि के अनुसार "जो है जैसा है, तथा "जहाँ है जैसा है" के आधार पर की जायेगी। अतः निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए इच्छुक व्यक्ति अपना टेंडर बंद निविदा के माध्यम से दिनांक 04.05.2021 तक बड़ौदा यू. पी. बैंक, शाखा- सहादतपुर, पता: आजमगढ़ मोड़, सहादतपुर, मऊ में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिक्री सूचना के लिए सार्वजनिक नीलामी की तिथि 05.05.2021 को दोपहर 11.00 से 400 बजे तक बड़ौदा यू. पी. बैंक शाखा- सहादतपुर, पता: आजमगढ़ मोड़, सहादतपुर, मऊ में खोली जायेगी

क्र. सं.	बकायेदार/जमानतदार का नाम, पता	सम्पत्ति का विवरण/ स्वामी का नाम	मांग सूचना तिथि अधिग्रहण की तिथि/प्राप्त सांकेतिक/भौतिक	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य
	<b>शाखा- सहादतपुर, मऊ</b>			<b>Rs.</b>	<b>43,00000/-</b>
1.	<b>बकायेदार-</b> मेसर्स प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक प्रोप्रा- प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता, पता: सहादतपुर, अलीबिल्डिंग के पास, मऊनाथ भंजन, मऊ, जमानतदार/बंधककर्ता- श्रीमती लक्ष्मी सिंह पत्नी श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, पता: 155/4 B, परदहा मिल रोड, नई बरती, मऊनाथ भंजन, मऊ जमानतदार: श्री दिलीप कुमार गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता पता: सहादतपुर, अलीबिल्डिंग के पास, मऊनाथ भंजन, मऊ खाता संख्या- 515135010050327	सामयिक बंधक जमीन व भवन मकान नं०- 155/4 बी, परदहा मिल रोड, नई, बरती, मऊनाथ भंजन, मऊ <b>भूमि व भवन: श्रीमती लक्ष्मी सिंह पत्नी नरेन्द्र प्रताप सिंह के नाम रक्षित है।</b> (1) <b>डीड नं० 2197</b> , दिनांक 02.08.2004, प्लाट नं० 2149, क्षेत्रफल- 112 लिंक, (2) <b>डीड नं० 3547</b> , दिनांक 02.12.2005, प्लाट नं० 2149, क्षेत्रफल- 35 लिंक <b>प्रोपर्टी का पता:</b> मकान नं० 155/4 बी, परदहा मिल रोड, नई बरती, मऊनाथ भंजन मऊ <b>चौहद्दी:</b> उत्तर- अरिमर्दन सिंह का मकान, दक्षिण- विश्वा विजय पाण्डे का मकान, पूरब- इंटरलॉकिंग रोड, पश्चिम- जनार्दन गिरी की भूमि	<b>05.08.2020</b>  <b>15.12.2020</b>  सांकेतिक कब्जा	<b>40,81,749.87</b> + ब्याज एवं अन्य खर्च	<b>43,0000</b>

**विक्रय के नियम एवं शर्तें-** 1. इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदा बंद लिफाफे में (जिसके ऊपर बिड क्रम संख्या तथा प्रकाशन का दिनांक अंकित हो) देना है। 2. निविदा प्रस्तुत करने को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत (धरोहर राशि) अग्रिम रूप से बैंकर्स चेक डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जो प्राधिकृत बड़ौदा यू. पी. बैंक के नाम देय हो निविदा पत्र के साथ संलग्न करें। अधिकतम नीलामी धनराशि (जो आरक्षित मूल्य से कम न हो) वाले निविदाकर्ता को सफल घोषित करते हुए असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के एक सप्ताह के अन्दर वापस कर दी जायेगी। 3. सफल निविदाकर्ता को निविदा राशि का 25 प्रतिशत (धरोहर राशि को छोड़कर) उसी दिन बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा तथा खरीद राशि का शेष 65 प्रतिशत का भुगतान उनकी बिक्री के लिए स्वीकृत पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक दश में जमा करना होगा। यदि सफल निविदाकर्ता शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी समस्त राशियाँ जप्त कर ली जायेंगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये अथवा पूर्व सूचना के सबसे ऊँची/समस्त निविदा को स्वीकार / अस्वीकार / स्थगित / निरस्त करने का अधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी की तिथि को आगे बढ़ा सकता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी विक्रय सम्पत्ति से संबंधित किसी चार्ज, लियन, भार, प्रोपर्टी टैक्स, सरकारी ड्यूज, अन्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय / अन्य पक्ष कार के क्लेम अधिकारी एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। 6. सम्पत्ति उसके आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सफल निविदाकर्ता सभी स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि का वहन स्वयं करेगा। 7. यदि दो या दो से अधिक निविदा एक धनराशि की आती हैं तो प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उनके बीच आपस में पुनः विडिंग करा ले। 8. निविदा / विक्रय बैंक के द्वारा पुष्टि होने के अधीन होगा। सम्पत्ति की नीलामी "जो है जैसी है" तथा "जहाँ है जैसी है" के आधार पर की जायेगी। 9. यदि कोई ऋणी / जमानतदार / बन्धककर्ताओं नीलामी की तिथि के पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है तो उसकी सम्पत्ति की नीलामी रोक दी जायेगी। इस प्रकार Security Interest Enforcement Rules, 2002 [By the Security Interest (Enforcement) Amendment Rules, 2002] धारा 13 की उपधारा (8) के अन्तर्गत ऋणी / जमानतदार / बंधककर्ता को नीलामी तिथि से पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देने की दशा में बंधक प्रतिभूति आरिक्त को उन्मोचित कराने सम्बन्धी सभी अवसर उपलब्ध हैं। 10. यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें, सम्पत्तियों के निरीक्षण हेतु संबंधित शाखा से पहले से समय लेकर किसी भी कार्य दिवस को दोपहर 02.00 बजे से 05.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। 11. यह सेल नोटिस ऋण कर्ता(ओं)/गारंटी कर्ता(ओं) / बंधक कर्ता(ओं) के लिये विशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिये सामान्य रूप है। 12. विस्तृत जानकारी / विवरणी हेतु बैंक की वेबसाइट <https://www.barodagraminbank.com/sarfasanotice.php> पर उपलब्ध है।

## सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत विक्रय हेतु 30 दिवसीय वैधानिक सूचना

उपरोक्त ऋण ग्रहीता / जमानतदारों / बंधक कर्ता(ओं) / विधिक उत्तराधिकारियों को नोटिस दी जाती कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान बैंक को कर दें, इसमें असफल रहने पर बन्धक सम्पत्ति की नीलामी नियत तिथि को कर दी जायेगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली आपसे ब्याज व लागत सहित की जायेगी।

नोट : प्रकाशन सावधानीपूर्वक किया गया है। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित शाखा से संपर्क किया जा सकता है।

दिनांक - 28.03.2021

स्थान - मऊ

प्राधिकृत अधिकारी